





10

m-book-11

min-30

13390/23



विक्रय-पत्र

पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301
बाजारी कीमत-6,48,000/-रु0, स्टाम्प-2,04,000/-रु0
दर-65 लाख + 10 प्रतिशत प्रति हे0

ई स्टाम्प संख्या-IN-UP70271735509655V

- 1- भूमि का प्रकार - कृषि
- 2- परगना - जमौर
- 3- ग्राम - नवादा इन्देपुर
- 4- सम्पत्ति का विवरण - गाटा सं0-7मि0
- 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.543 हे0 में से 0.0905 हे0
यानी 905 वर्ग मीटर
- 6- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति
के नहीं हैं।
- 7- सड़क की स्थिति - मुख्य सड़क से करीब
500मी0दूर
- 8- प्रतिफल - 28,96,000/- रुपया

204000

Ramesh



Vijay Kumar



Rohit Agarwal



(2)

विवरण चौहद्दी :-

पूरब - खेत प्रशान्त अग्रवाल डायरेक्टर क्रेता कम्पनी
पश्चिम - खेत अशोक आदि
उत्तर - खेत विनय कुमार कुमरा आदि
दक्षिण - खेत वसीउल्ला आदि

सुशील कुमार कुमरा व विनय कुमार कुमरा पुत्रगण राम मोहन कुमरा
निवासीगण मोहल्ला दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर।
मो०-9415035527, 9415119717 फैन नं०-ABOPK4221G, ABOPK4222F

..... प्रथम पक्ष

एवं

एस०पी०के०एन० एण्ड सन्स प्रा०लि० अजीजगंज शहर व जिला
शाहजहांपुर द्वारा डायरेक्टर प्रशान्त अग्रवाल पुत्र योगेश कुमार
अग्रवाल निवासी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शहर व
जिला शाहजहांपुर। फैन नं०-ABDCS6704J मो०-9451711111

.....द्वितीय पक्ष

जो कि आराजी काश्त संक्रमणीय भूमिधर स्थित ग्राम नवादा
इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहांपुर जिसका
गाटा संख्या 7 मि० रकबा 0.5430 हे० लागान खाता अनुसार हम
प्रथम पक्ष की है, जिसके बाबत हम प्रथम पक्ष को पूर्ण हक
मालिकाना हस्तान्तरण आदि के हासिल हैं। यह कि प्रथम पक्ष
प्रताप सिंह कुमरा के वारिस है प्रताप सिंह कुमरा द्वारा अपने
जीवन काल में कुछ भूमि क्रय की गयी थी जिसमें से खसरा










विक्रय पत्र

प्रतिफल- 2896000 स्टाम्प शुल्क- 204000 बाजारी मूल्य - 648000 पंजीकरण शुल्क - 28960 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 29020

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा
प्रशान्त अग्रवाल प्राकृतिक संरक्षक,
पुत्र श्री योगेश कुमार अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर



श्री, एस पी के एन एण्ड सन्स प्रा०लि० द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/05/2023 एवं 12:29:08 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

प्रशान्त अग्रवाल प्राकृतिक संरक्षक

10


Prashant Agrawal

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Arjun Kumar Gupta
अरुण कुमार गुप्ता
उप निबंधक :सदर
शाहजहांपुर
03/05/2023

✓ पी पी कठेरिया
निबंधक लिपिक
शाहजहांपुर
03/05/2023

प्रिंट करें



(3)

संख्या 3 प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कम्पनी के नाम खरीदी गयी थी तथा खसरा संख्या 7 प्रताप इंडस्ट्रीज के नाम खरीदी गयी थी प्रताप इंडस्ट्रीज ने पहले एक ऑयल मिल प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कम्पनी की भूमि पर लगा ली थी बाद में परिवार में व्यापार बदलकर इस संबंध में धारा 143 अंतर्गत 04.09.1986 की खसरा संख्या 3/2.34 एकड़ व खसरा संख्या 7 मिनजुमला/1.35 एकड़ औद्योगिक घोषित कर दी गयी थी लेकिन प्रताप इंडस्ट्रीज की भूमि खसरा संख्या 7 हमेशा खाली रही है उसका प्रयोग कृषि कार्य हेतु रहा खसरा संख्या 7मि0 के अंश पर जो मिल लगाई गयी थी वह भी आपसी विवाद में बंद हो गयी तथा उक्त मिल की इमारत जो प्रताप इंडस्ट्रीज की इमारत बनी थी जिसके सिर्फ मलवे की मालिक प्रताप इंडस्ट्रीज थी उक्त मलवा भी मौके से हट गया और समस्त औद्योगिक भूमि का उपयोग भी समाप्त हो गया। यह कि बाद में परिवार में विवाद होने पर मुकदमा दारी शुरू हो गयी तथा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन शाहजहांपुर में मूल वाद संख्या 192/1991 श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम अरुणा देवी आदि तथा मूल वाद संख्या 198/1991 श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम राजकुमार आदि दायर हुये उक्त निर्णय उपरांत विक्रय की जाने वाली भूमि खसरा 7 स्थित नवादा इन्देपुर रकबा 0.543 हे0 सम्पूर्ण पर हम विक्रंतागण सुशील कुमार कुमरा एवं विनय कुमार कुमरा का नाम दर्ज हो गया है और उपरोक्त भूमि के पूर्ण मालिक काबिज दखिल के उपरोक्त भूमि 1986 में औद्योगिक भूमि दर्ज हो गयी थी लेकिन उसका औद्योगिक उपरोक्त उपरोक्त फर्म विघटित हो जाने के बाद



Kumar

Vinay Kumar



Rustam Agarwal



विक्रेता: 1

श्री सुशील कुमार कुमरा, पुत्र श्री
राममोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



विक्रेता: 2

श्री विनय कुमार कुमरा, पुत्र श्री
राम मोहन सिंह कुमरा

निवासी: मो० दीवानजोगराज
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



क्रेता: 1

श्री एस पी के एन एण्ड सन्स
प्रा०लि० के द्वारा प्रशान्त
अग्रवाल, पुत्र श्री योगेश कुमार
अग्रवाल

निवासी: श्री दुर्गा इन्डस्ट्रीज
कम्पाउन्ड अजीजगंज
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री विजय कुमार कुमरा, पुत्र श्री
रामरतन कुमरा

निवासी: प्लॉट सं० 5 साउथ सिटी
एक्टेंशन शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री कमल कुमार , पुत्र श्री सुखवीर

निवासी: मो० खिरनीबाग
शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता

उपनिबंधक : सदर

शाहजहांपुर

03/05/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के
निशान अंगूठे नियमानुसार लिए
गए हैं।

टिप्पणी : स्टाम्प कमी

पी पी कठेरिया

निबंधक लिपिक

शाहजहांपुर

03/05/2023

(4)

समाप्त हो गया था और विगत 20 वर्ष से अधिक से उक्त भूमि पर कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं लगी हुई है और राजस्व कर्मचारियों की अनदेखी के कारण अभी तक उस पर गलत तौर अकृषक भूमि होना राजस्व अभिलेखों पर दर्ज है धारा 144 यू0पी0जैड0 एंड एल0आर0एक्ट राजस्व अधिकारियों का स्वयं दायित्व था कि मौके पर कृषि हो रही है को राजस्व अभिलेखों में सही दर्ज किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया है विगत 20 वर्षों से उक्त भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है वर्तमान खतौनी में भी सिर्फ कृषि भूमि दर्ज है उक्त कृषि भूमि का निकास चकरोड पर है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी कुल काश्त में से रकबा 0.0905 हे0 काश्त को खूब सोच व समझकर बिना किसी जबर व दबाव के खुशी खुद बदले मुबलिग 28,96,000 /— रू0 (अठाई लाख छियानवे हजार रुपया) जिसके आधे मु0 14,48,000 /— रू0 (चौदह लाख अढतालीस हजार रुपया) होते हैं, में बदस्त द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दी तथा कुल कीमत अंत में दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित मालिक, काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई दे दिया अब नहीं रहा कोई हक हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे का विक्रीत काश्त के बावत् यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम, सरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा वातिल व नाजायज होवे। निकल जावे जुज या कुल भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे से तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रुपया हर्जा व खर्चा सहित मुझ प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे की जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे को कोई उज्र या

Ram


Umap


Rastul Agorwal


UPSH050026242018



उप निबन्धक
हर-शाहजहाँपुर

39 क

न्यायालय: सिविल जज(सीनियर डिविजन), शाहजहाँपुर

मोहम्मद रईस खान आदि निरंजन सिंह आदि
मूलाद संख्या- 283/2018
(CNR No.- UPSH050026242018)

दिनांक- 20.12.2022

निस्तारण समझौतानामा- 30 क

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष जरिये विद्वान अधिवक्तागण उपस्थिति आये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा-30 क पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

समझौतानामा-30 क मय शपथपत्र 35 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य चन्द भले लोगों ने समझौतानामा-30 क में वर्णित शर्तों के आधार पर आपस में सुलह समझौता हो गया है। उभयपक्ष खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करेंगे।

उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा-30 क की शर्तों को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। दिनांक 14.11.2022 को वादीगण मोहम्मद रईस खान आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बुधपाल सिंह व प्रतिवादीगण निरंजन सिंह आदि के हस्ताक्षर व फोटो को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा समक्ष न्यायालय तस्दीक किया गया है। पक्षकारों को समझौतानामा न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया है। पक्षकारों के द्वारा समझौतानामा-30 क को स्वीकार किया गया है एवं कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उभयपक्ष की शिनाख्त जरिये अधिवक्ता किये जाने पर समझौतानामा-30 क न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2022 को तस्दीक किया गया। समझौतानामा एवं उभयपक्ष के अभिकथनों से राजीनामा दुरभिसंधि पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राजीनामा/ समझौतानामा-30 क की शर्तों के आधार पर दावा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

समझौतानामा-30 क के आधार पर दावा वादीगण आज्ञप्त किया जाता है। समझौतानामा-30 क मय आधार समझौता 31 क आज्ञप्ति का अंश होगा। यह निर्णय केवल पक्षकारों एवं उनके विधिक प्रतिनिधि पर ही प्रभावी होगा। इस निर्णय के प्रभाव स्वरूप अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस निर्णय के प्रभावस्वरूप किसी सरकारी सम्पत्ति का अन्तरण होगा, न उससे किसी स्वत्व का सृजन ही होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का कोई भी प्रभाव अवयस्क पक्षकारों के वयस्कता पर प्राप्त उनके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के प्रभावस्वरूप सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं भूमि व राजस्व अधिनियम से सम्बन्धित वांछित विधिक प्रक्रिया व देय राजस्व पर इस निर्णय का किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये एवं इस आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, जनपद शाहजहाँपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

उप निबन्धक
हर-शाहजहाँपुर

(हितेश अग्रवाल),
सिविल जज (सीनियर डिविजन),
शाहजहाँपुर।
(J.O. Code- UP2060)

(5)

इंकार न होगा।

मूल्यांकन सूची के पृष्ठ-72 के क्रमांक 310 के प्रारूप-4 के वी0कोड 1301 की दर 65,00,000/- रूपया प्रति हे0 निर्धारित है परन्तु 10 प्रतिशत बृद्धि करने अनुसार मूल्यांकन किये जाने पर उसकी कुल मूल्य कीमत मु0 6,48,000/- रूपया होती है लेकिन उक्त सम्पत्ति का विक्रय मु0 28,96,000/- रूपया में किया जा रहा है जो विक्रय मूल्य श्रीमान कलेक्टर शाहजहांपुर द्वारा बनायी गयी मूल्यांकन सूची में दिये गये मूल्यांकन से अधिक है इस कारण स्टाम्प अधिनियम के शेडयूल-1बी के अनुच्छेद 23(क) के अनुसार विक्रय प्रतिफल पर स्टाम्प विक्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है। लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विवरण अदायगी प्रतिफल

समस्त प्रतिफल मु0 28,96,000/- रूपया निम्न अनुसार अदा किया गया।

चेक सं0	धनराशि	दिनांक	बैंक
286481	1448000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक सुशील कुमार कुमरा
286482	1448000	22.03.2023	भारतीय स्टेट बैंक विनय कुमार कुमरा

नोट :- क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति











उप निवन्धक
कार-शाहजहाँपुर



ता 08 फेब्रु-18/11/22

306

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION SHAHJAHANPUR

Original Suit No. 283 of 2018

1. Mohd. Rases Khan S/o Mohd. Shafi Khan R/o Mohalla Dilajak, Shahjahanpur.
2. Smt. Pramila Devi W/o Shri Braj Kishore Mishra R/o Quarter No.1-H-45, Double storey Factory Estate, Shahjahanpur.
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra W/o Shri Gopesh Mishra R/o Village Pena Bujurg, Pargana & Tehsil Sadar Shahjahanpur.
4. Smt. Sidh Shri W/o Shri Sita Ram R/o Sainik Colony, Near Deep dairy Shahjahanpur
5. Ajay Kumar Gupta S/o Shri Ram Kumar Vaishya R/o Quarter No.291/2, Nehru Road, Factory Estate, Shahjahanpur.
6. Manish Khiloria S/o Shri Suresh Prasad Khiloria R/o Factory Estate, Shahjahanpur.
7. Ranjeev Khiloria S/o Shri Shiv Shankar Prasad Saxena R/o Factory Estate, Shahjahanpur.
8. Raghveer Sharan S/o Shri Kadel Singh R/o Village Mudiria Ahband Pargana Pasgawan, Tehsil Mohamdi Shahjahanpur. (Khan)
9. Smt. Jitendra Saxena W/o Shri Praveen Kumar Saxena R/o Mohalla Dilajag, Cantt, Shahjahanpur.
1. Vishwadhar Mishra S/o Shri Shivadhar Mishra R/o 2, Civil Lines, Shahjahanpur.

----- Plaintiffs

1. Niranjn Singh S/o Late Hazara Singh R/o 307/4 J. Type Factory Estate, Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.
2. Shakeel Ahmad S/o Late Rafee Ullah R/o Mohalla Tareen Jalalnagar Tehsil Sadar, District Shahjahanpur.

----- Defendants

श्रीमान जी

उपरोक्त वाद में सादर निवेदन है कि उभय पक्षकारण के मध्य समाज के चंद भले लोगों ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया है और पक्षकार अब मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत फहमीवश विवादित बेनामा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 22.12.2015 को कर दिया था। लेकिन अब सही तथ्यों का ज्ञान हुआ है। विवादित सम्पत्ति का बेनामा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सरदार हजारा सिंह ने दिनांक 09.01.1987 को कर दिया था और विवादित सम्पत्ति की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त मूलवाद निम्न समझौते के आधार पर निर्णीत कर समझौते को अंतिमता का अंश बनाने की कृपा करें।

Signature

Signature

उप निवन्धक
कार-शाहजहाँपुर
श्रीमान जी




श्रीमान जी
श्रीमान जी
श्रीमान जी
श्रीमान जी
श्रीमान जी

सो-व्य पत्र

उप निबन्धक
सगर-भारतपुर


जादा पदे सो-व्य पत्र वादी गण मोहनस रिस रवौ, श्री मती
छिपला देवी, श्री मती लूणा बान्ती मित्राडि लूणा मित्रा, श्री मती
सिद्ध श्री, यडाप कुमार गुला, मनीष खिलौरिया हारा भुरव्वार काम
रंजीव खिलौरिया, रंजीव खिलौरिया, रघुवर वरम हारा भुरव्वार काम
मोहनस रिस रवौ, श्री मती जितेन्द्र मन्सेरा, व विश्वा चर मित्रा
की बनारल श्री लूणापाल सिंह रड्ड व प्रतिवादी गण निरड्डांग सिद्ध
व शकील कडम की बनारल इन्के कचिक्मला श्री कुलदीप
श्रीवास्तव रड्ड हारा मित्रा गण । सो-व्य पत्र परकारों को
पदकर सुगण गण । सो-व्य पत्र लखीक पत्रकारों की धोर
से स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर की गयी ।



[Handwritten signature]
14/11/22

[Handwritten notes]
सुखी देवी
रंजीव रंजीव
मनीष कुमार गुला
मनीष खिलौरिया
सिद्ध श्री
रंजीव खिलौरिया

[Handwritten notes]
श्रीमती सुखी देवी
शकील कडम
Identify Signature
of Mr Mohan and
Shakeel Ahmad
14.11.22
(कुलदीप श्रीवास्तव रड्ड)



[Handwritten notes]
जितेन्द्र मन्सेरा
विश्वा चर मित्रा

[Handwritten notes]
Identify all
14-11-22
(Shakeel Ahmad)


[Handwritten signature]
उप निबन्धक
सगर-भारतपुर

[Vertical handwritten notes]
18/11/22
18/11/22

नजरी नक्शा बिक्रीत आराजी संक्रमणीय भूमिधरी

स्थित ग्राम- रावादा इन्दौर परगना बाराणसी

तहसील सदर जिला-शाहजहांपुर



Remark



Umsak



Prakash Agarwal



आधार समझौता

31/6

1. यह कि दावा वादी बावत याचना (अ) आइएत माना जावेगा तथा बैनामा दिनांक 22.12.2015 इकरारी निरंजन सिंह बहक प्रतिवादी संख्या 2 श्रीकील अहमद निरस्त माना जावेगा तथा इसकी सूचना कार्यालय उप निबन्धक शाहजहाँपुर को इस आदेश के साथ भेज दी जावेगी कि वह इस तथ्य की प्रविष्टि अपने अभिलेखों में कर देगे।
2. यह कि विवादित बैनामे के संबध में स्टाम्प त्राद संख्या 141 सन् 2015 सरकार बनाम शकील अहमद तारीख फँसला 04.01.2016 में पारित निर्णय के अनुसार विवादित बैनामे के संबध में जो कमी स्टाम्प का आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार रु 5,33,590/- एव इस धनराशि पर व्याज राज्य सरकार को अदा किया जाना है। उक्त रकम की अदायगी वादीगण, प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से अदा कर देगे ताकि भविष्य में कोई विवाद स्टाम्प शुल्क का शेष न बचे।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 मूल बैनामा कार्यालय उप निबन्धक शाहजहाँपुर से प्राप्त कर वादीगण को सौंप देगा।
4. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त बैनामे के संबध में देय कमी स्टाम्प की रकम जो वादीगण द्वारा अदा कर दी जावेगी को सरकार से वापस प्राप्त करने के लिये वादीगण के सहयोग से समुचित कार्यवाही करेगा और इस कार्यवाही पर होने वाला व्यय वादीगण वहन करेगे और इस संबध में यदि कोई रूपया राज्य सरकार से वापस प्राप्त होगा तो इस धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण होंगे और इस समस्त कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 अपना पूरा सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर मुख्तयारनामा लिखकर वादीगण को सौंप देगा।
5. यह कि पक्षकारों के मध्य जो भी फौजदारी के बाद चल रहे हैं उन्हें भी पक्षकार आपसी सहयोग से समाप्त करा लेंगे।
6. यह कि बाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।



वादीगण


1. Mohd. Raees Khan
2. Smt. Kamila Devi
3. Smt. Krishna Kanti Mishra alias Krishna Mishra
4. Smt. Sidh Shri
5. Ajay Kumar Gupta
6. Manish Khiloria
7. Ranjeev Khiloria
8. Raghveer Sharan
9. Smt. Jitendra Saxena
10. Vishwadhar Mishra

Through
Budhpal Singh
Advocate


Budh Pal Singh
Advocate
Collectrate, Shahjahanpur
Reg. No. 7509/92

प्रतिवादीगण

1. Niranjan Singh
2. Shakeel Ahmad
Through
Counsel



द्वारा-
कुलदीप श्रीवास्तव
TDSO
कुलदीप श्रीवास्तव
रजि० न०-142659/16 एडवोकेट
अजैस कोर्ट, शाहजहाँपुर
फ़ोन०.809049175




उप निबन्धक
शहर-शाहजहाँपुर

फोटोग्राफ आराजी काश्त

स्थित मोहल्ला / ग्राम - ~~जवाहर इन्दौर~~ ~~पराग पौर~~
तहसील सदर जिला - शाहजहाँपुर



Ramak



Vijay






Rasheed Agarwal




()

के नहीं हैं। काश्त सीलिंग व पट्टे की नहीं है। काश्त में पेड़, बोरिंग या कुआँ आदि नहीं है।




गवाह-1 विजय कुमार कुमरा पुत्र राम रतन कुमरा निवासी प्लाट नं0 5 साउथ सिट एक्सटेंशन शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0- 9648115555


गवाह-2 कमल कुमार पुत्र सुखवीर निवासी मोहल्ला खिरनीबाग शहर व जिला शाहजहांपुर। मो0-9919214999

मसविदा- आलोक कुमार मिश्र, (एडवोकेट) मो0-9935535799

दिनांक 24/03/2023


Atok Kumar Mishra (Adv.)
Reg. No.-57987
Judges Court, Shahjahanpur
Mob - 9935535799



आवेदन सं०: 202300795008296

मिनट बुक संख्या 11 द्वारा
निबंधन की कार्यवाही स्थगित की
गई।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता

उप निबंधक : सदर

शाहजहांपुर

03/05/2023

आवेदन सं०: 202300795008296

पी पी कठेरिया

निबंधक लिपिक

शाहजहांपुर

03/05/2023

मिनट बुक संख्या 30 द्वारा निबंधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16090 के पृष्ठ 161 से 178 तक क्रमांक 13390 पर
दिनांक 30/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

*As per order of ADM (FIR)
Shahjahanpur dt- 27.8.2023*

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश यादव

उप निबंधक : सदर

शाहजहांपुर

30/08/2023

Certified that the amount required to
make up the proper stamp duty is

Rs. *4,18,530/-*

in words *Four lakh Ten thousand Five hundred thirty only*

and a penalty of Rs. *4000/-*

in words *Four thousand only*

and Registration fee Rs. *50,830/-*

in words *Fifty Eight thousand Eight hundred thirty only*

and Interest (1.5% per month) *18,476/-*

Rs. *(12,318 + 6,160)* **नोट करे**

in words *Eighteen thousand four hundred seventy six only*

have been levied in respect of this instrument and have been paid by

Kamraj Agrawal of Prashant Agrawal of Jagdish

Agiz Gang, Esil Sadri S.P.N.

Through Treasury Chalan No. *6C0006*

Dated *12.08.2023*

ADMR
Collector

Stamp. Shahjahanpur